राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प. 5(18)कार्मिक / क–2 / 84 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27 FEB 2023

–: परिपत्र :–

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण के बैकलॉग के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत राज्य की विभिन्न सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है :–

राज्य सेवा	–	5 %
अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा	–	12.5 %
चतुर्थ श्रेणी सेवा	–	15 %

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 जारी होने से पूर्व भूतपूर्व सैनिक कोटे में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणी (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / आर्थिक पिछड़ा वर्ग) में ही समायोजित किया जाता था।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सेवाओं की सीधी भर्ती में देय क्षैतिज आरक्षण को प्रवर्गवार प्रावधित कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया गया हैं। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 लागू होने के पश्चात राज्य में सीधी भर्ती के लिए जारी होने वाली विज्ञप्तियों हेतु भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों की गणना प्रवर्गवार करते हुए, अर्थना विज्ञापित की जायेगी। इस हेतु परिपत्र दिनांक 12.12.2022 जारी किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम–2 के तहत किसी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के पद रिक्त रह जाने पर, उनको उस वर्ष सामान्य पद्धति से भरा जाता है तथा उतने पदों के आरक्षण को अगली भर्ती वर्ष में बैकलॉग के रूप में लिया जाता है। अब चूंकि जो भी भर्ती होगी वह संशोधित नियमों के अनुसार होगी, ऐसी स्थिति में पिछले भर्ती वर्ष की भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों को वर्तमान भर्ती में प्रवर्गवार (कम्पार्टमेन्टवाइज) लेते हुए प्रत्येक जारी किये जाने वाले विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिकों की निर्धारित रिक्तियों के बैकलॉग को एवं वर्तमान में भरी जाने वाली रिक्तियों को पृथक–पृथक दर्शाया जायेगा।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी भर्ती में 100 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों की पिछली भर्ती में भरने से शेष रह गई थी एवं वह आरक्षण बैकलॉग के क्रम में इस भर्ती में प्राप्त हुआ है तो अब चूंकि भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों को प्रवर्गवार (कम्पार्टमेन्टवाइज) किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त 100 रिक्तियों का विभाजन वर्गवार निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

SC-16 ST-12 OBC-21 MBC-5 EWS-10 UR-36

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता हैं कि उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरश : पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.02.27 20:13:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3262909

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक़ कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.02.27 17:53:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3262915